हडको / जयपुर / 2022 / 153 / 872-883
दिनांक: 05.05.2022

..............................
..............................

विषय: **Quotation for Valuation of HUDCO Office Building at HUDCO Bhawan, Jyoti Nagar, Vidyut Marg, Jaipur - "For renting out purpose". (Only from HUDCO Empanelled Valuers).**

महोदय,

1. The above mentioned Building is in ownership of HUDCO. HUDCO intends to get its valuation done **for renting out purpose (as on 31.03.2022)**. The brief about the building / location is enclosed (Annexure-A).
2. The valuation work is to be carried out as per prevailing rules and regulation in the state with reference to Sale / Renting out of properties.
3. You are requested to send sealed quotation as per the enclosed performa (Annexure- B) for carrying out the valuation of the aforesaid property and the same should reach HUDCO office at following address:

   **Housing & Urban Development Corporation Ltd.,**
   **Jaipur Regional Office, HUDCO Bhawan, Vidyut Marg,**
   **Jyoti Nagar, Jaipur 302005**

   The sealed quotation shall reach on above address on or before by 3.00 PM on **17.05.2022** Quotation sent after this time and date will not be accepted.
4. It should be clearly mentioned on the top of the envelop **"Sealed Quotation for Valuation of HUDCO Office Building at Jaipur Regional Office, HUDCO Bhawan, Vidyut Marg, Jyoti Nagar, Jaipur 302005".**
5. The Rates quoted should be in Rupees and only unconditional proposals will be considered. Any taxes etc. shall be deducted as per prevailing rules.
6. **Quotation will be opened on 17.05.2022 at 03.30 p.m.**
7. The valuation work shall be done as per the terms and conditions given in your empanelment.
8. If, any additional information is required, you may kindly contact Dr. Arun Kumar Rana, Joint General Manager (Projects) [Tel. No. 0141-2740863] during working hours.

धन्यवाद।

भवदीय
5/5/2022
(डा. अरूण कुमार राणा)
संयुक्त महाप्रबन्धक (परि.)

संलग्नः यथोपरि।

O/C

**Annexure – A**

**Name of Property:** **HUDCO Office Building at HUDCO Bhawan, Jyoti Nagar, Vidyut Marg, Jaipur.**

**Location:** **HUDCO Bhawan, Jyoti Nagar, Vidyut Marg, Jaipur.**

**Area Detail:**

| | Area (in Sq.mtr.) |
|---|---|
| Plot Area | 1364.84 |
| Ground Floor | 306.13 |
| First Floor | 321.28 |
| Second Floor | 266.84 |
| Third Floor | 211.76 |
| Basement Area | 301.82 |

**Description:** Plot was purchased by HUDCO from Jaipur Development Authority in year 1989 for construction of its Office Building. Plot was allotted for a lease period of 99 years. Construction of the building completed in 1999.

**Present Status:** HUDCO is running its office on Basement, Ground Floor & First Floor. Office space on second and third floor has been rented out to Income Tax Department.

**Annexure – B**

**Fee forValuation of HUDCO Office Building**
**at**
**HUDCO Bhawan, Jyoti Nagar, Vidyut Marg, Jaipur.**

| | Amount (in Rs.) |
|---|---|
| **Professional Fee** | |
| **GST** | |
| **Total fee** | |

We accept that HUDCO can deduct any statutory dues as per prevailing norms from our fee.

**(Signature & Seal)**

रजिस्टर्ड ए. डी.

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## आवंटन-पत्र

क्रमांक : एफ-1 ( 45 ) जविप्रा/भुराम/ 775/87  दिनांक : 30 NOV 1989

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
आवास तथा नगर विकास निगम
हुडको हाउस, लोधी रोड
नई दिल्ली

महोदय,

आपके पत्र क्रमांक हुडको/चेरी/डीओ/89-1376 24.4.89 के सन्दर्भ में प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति समिति ने अपनी बैठक दिनांक 25.5.89 में यह निर्णय लिया है कि "आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) को कार्यालय भवन हेतु लालकोठी योजना में आवासन मण्डल कार्यालय के पीछे 1364.84 वर्ग मीटर भूमि 3000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटन कर दिया जावे।"

समिति के निर्णयानुसार हुडको को कार्यालय भवन हेतु लालकोठी योजना में 1364.84 वर्ग मीटर भूमि 3000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से निम्न लिखित शर्तों पर आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्तें :

1. भूमि का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर होगा, जिसमें पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा।
2. वार्षिक शहरी जमाबन्दी आवंटित भूमि का आधिपत्य पत्र जारी होने की तिथि से योजना की सुरक्षित दर रुपये 1500 पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से देय होगी। यह प्रथम तीन वर्ष तक आधी दर पर प्रतिवर्ष व इसके बाद पूरी दर से वसूल की जावेगी।
3. वार्षिक शहरी जमाबन्दी की राशि (प्रथम वर्ष की) मांग पत्र के साथ अग्रिम जमा करानी होगी।
4. शहरी जमाबन्दी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक प्राधिकरण कोष में जमा कराना आवश्यक है। अन्यथा इसके उल्लंघन पर प्राधिकरण को नियमानुसार ब्याज वसूल करने का अधिकार होगा।
5. शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् परिवर्तित की जा सकती है किन्तु ऐसी प्रत्येक वृद्धि वर्तमान दर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
6. भू-खण्ड का निर्माण कार्य आवंटन पत्र की तिथि से 6 माह की अवधि में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार प्रारम्भ किया जावेगा एवं 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लिया जावेगा। भवन मानचित्र अनुमोदन करवाने की जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।
7. यदि आवंटन की तिथि से भूमि का उपयोग 2 वर्ष की अवधि में नहीं किया गया तो भू-खण्ड व उस पर बने अधूरे भवन, यदि कोई हो तो, को अधिग्रहित कर लिया जावेगा व मुआवजा देय नहीं होगा।
8. भू-खण्ड केवल कार्यालय भवन बनाने हेतु काम में लिया जावेगा एवं किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी और न ही किसी प्रकार का वाणिज्यिक एवं लाभ कमाने की दृष्टि से इसका उपयोग किया जा सकेगा।
9. भू-खण्ड एवं इस पर निर्मित भवन किसी भी अन्य को प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना विक्रय, बन्धक, दान, शिकमी एवं अन्य किसी भी रूप में हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
10. भू-खण्ड एवं इस पर निर्मित भवन को पुनर्गृहित कर लिये जाने पर इसको पुनः आवंटन/विक्रय करने का प्राधिकरण को पूर्ण अधिकार होगा।

(कृ० पृ० उ०)

1982 (वर्ष 1982 का 25वां अधिनियम) के तहत राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियमों, ... व समय-समय पर प्रचलित अन्य नियमों व उनमें किए गए व किए जाने वाले संशोधनों व समय समय पर ... जाने वाले आदेशों/निर्देशों एवं प्राधिकरण के निर्णयों के अधीन भू-खण्ड का आवंटन समझा जावेगा।

12. उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन किया गया, तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि बिना कोई नोटिस दिये भू खण्ड अधिग्रहित करलें।

13. भू-खण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल आवंटित भू-खण्ड के स्थान मानचित्र के अनुसार कम या अधिक हो सकता है। अतः आधिपत्य लेते समय वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार धनराशि देय होगी।

14. जयपुर के बाहर के चैक स्वीकार नहीं किये जाते हैं। जहां तक स्थानीय अर्थात् जयपुर के चैकों का प्रश्न है वे भुगतान की अन्तिम तिथि से तीन दिन पूर्व बैंक में प्रस्तुत करने पर ही भुगतान समय पर हुआ माना जावेगा।

15. मांग की गई राशि इस पत्र के जारी होने के दिनांक से ~~6 माह~~ 30 दिवस की अवधि में जमा न कराने पर प्राधिकरण के नियमानुसार ब्याज देय होगा तथा आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

उपरोक्त भू-खण्ड का नजराना व शहरी जमाबन्दी आदि की धनराशि निम्न प्रकार है:—

(1) नजराना राशि
भूमि दर रुपये ~~[illegible] प्रति वर्ग गज~~/वर्गमीटर की दर से ...... [illegible] वर्ग मीटर के लिये ...... 4094520.00

(2) शहरी जमाबन्दी (राजस्थान नगर विकास न्यास भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 7(1) व 7(3) के अन्तर्गत)

(1) प्रथम तीन वर्ष के लिए (प्रथम वर्ष की अग्रिम)
सुरक्षित दर ...... 1500/- प्रति वर्ग ~~गज~~ पर ~~1½~~/2½ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ...... 51181.50

(2) चौथे वर्ष से लीज अवधि तक ~~2½~~/5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ...... 102363.00

(3) स्थान मानचित्र की प्रति ...... 25.00

यदि आपको उपरोक्त नियम व शर्तों के आधार पर भू-खण्ड का आवंटन स्वीकार हो तो कृपया वांछित धन राशि इस आवंटन पत्र के जारी होने की तिथि से ~~6 माह~~ 30 दिवस में प्राधिकरण कोष में निम्न प्रकार जमा कराने की व्यवस्था करें:—

| | |
|---|---|
| (1) नजराना राशि रुपये | 4094520.00 |
| (2) शहरी जमाबन्दी प्रथम वर्ष की अग्रिम | 51181.50 |
| (3) स्थान मानचित्र | 25.00 |
| कुल योग | 4145726.50 |
| जमा राशि | 4103075.25 |

नोट:—वांछित धन राशि संलग्न चालान संख्या ...... दिनांक ...... [illegible] ऑफ इण्डिया की एस.डी.एम.एच. शाखा, जयपुर में जमा करावें।

बकाया राशि 42651.25

Recd
[signature] 30/11

मुख्य राजस्व अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, नगर नियोजन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि भूमि एवं सम्पत्ति समिति के निर्णयानुसार भू-खण्ड का सृजन करें।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को (तीन प्रतियों में) स्थान मानचित्र बनाने हेतु।
4. उप निदेशक, (राजस्व), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. सांख्यिकी सहायक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. योजना लिपिक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. रक्षा पत्रावली।

मुख्य राजस्व अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## सार्वजनिक निगमों/सरकारी बोर्ड एवं संस्थाओं तथा धर्मार्थ एवं दानदाता संस्थाओं हेतु

### *शहरी जमाबन्दी के आधार पर संस्थागत प्रयोजनों के लिये रियायती दर पर आवंटित भूमि के उपयोग/उपभोग हेतु पट्टा*

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 24-1-2004 को, विक्रय-पत्र संख्या 4/04 सन् 2004 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया हैं और दूसरी ओर संस्था (नाम) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आवास तथा नगर विकास निगम, हुडको हाउस, लोदी रोड, नई दिल्ली ........ पंजीकृत है (पंजीयन, सं.................. दिनांक.................) जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया है और इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग में वैसा अर्थ निकले, उस संस्था/बोर्ड/प्रबन्धक-कारिणी भी सम्मिलित होंगे के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रु. 40,94,520/- (अक्षरे चालीस लाख चौरानवे हजार पांच सौ बीस मात्र रुपये ........ पैसे मात्र) की रकम के नजराने जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है।) और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों व साथ-साथ आवंटन की शर्तों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा लागू शर्तों को पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट) जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है, उपयोग/उपभोग हेतु) प्रदान करती है जो गोल मार्केट योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में —— रंग से दिखलाया गया है, और जिसे निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :—

1. उक्त भूखण्ड आवंटी को पट्टे (लीज-होल्ड) के आधार पर आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।
2. आवंटित भूमि व इसके पश्चात् निर्मित भवन को संस्था किसी को भी उप पट्टे (सब-लीज) पर स्थायी/अस्थायी रूप से नहीं दे सकती। उप पट्टे/किराये पर देने पर आवंटन स्वत: ही निरस्त समझा जाकर भूखण्ड जब्त कर लिया जायेगा तथा कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
3. पट्टेदार जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर जिसे सरकार समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन, उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में शहरी जमाबन्दी (लीज राशि) के तौर पर अंके 1,02,363 रु. 022 पै. (अक्षरे एक लाख दो हजार तीन सौ तिरेसठ मात्र) मात्र पेशगी अदा करेगा। यदि शहरी जमाबन्दी नियत तारीख तक जमा नहीं की गई तो बकाया रकम पर तत्समय प्रचलित दर से ब्याज वसूल किया जायेगा।
4. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् 25 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि की जायेगी।
5. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश का जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर जविप्रा ऐसी रकम या उसके अंश को उस तारीख से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिए सक्षम होगी।
6. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस संस्था के सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। जिस सार्वजनिक उद्देश्य हेतु संस्था को भूमि आवंटित की गयी है उसी उद्देश्य के लिए भूमि व भवन का उपयोग किया जावेगा। भूखण्ड व भवन का व्यावसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग या उपभोग नहीं किया जा सकेगा।
7. भूखण्ड पर निर्माण कार्य आवंटन की दो वर्ष की अवधि में प्रारम्भ कर पूर्ण करना होगा अन्यथा भूखण्ड के पेटे जमा कराई गई राशि बिना ब्याज के लौटाई जाकर भूखण्ड जिस भी स्थिति में होगा जब्त कर लिया जायेगा।
8. पट्टेदार/आवंटी द्वारा भूखण्ड पर जो भी भवन निर्माण कार्य करवाया जावेगा वह जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्राप्त की गई स्वीकृति एवं स्वीकृत किये गये मानचित्रों के अनुसार ही किया जावेगा।
9. आवंटी संस्था सक्षम अधिकारी को सीधे वे तमाम साधारण विशेष और स्थानीय कर/दर/अपवाद/लागत अदा करेगी जो उक्त भूखण्ड या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में या उस पर बनाये गये किसी भवन या भवनों बाह्य गृहों या बाड़ियों अन्य तामीरों के सम्बन्ध में या उस समय आयद किये या लगाये गये हों और काबिल अदा हों।
10. चूंकि उपरोक्त भूखण्ड विशेष शर्तों के अन्तर्गत विशेष रियायत से आवंटन किया गया है अत: भूखण्ड को राज्य सरकार या किसी विधि मान्य वित्तीय संस्था से भूखण्ड के अधिकृत उपयोग हेतु ऋण लिये जाने के एवज में रहन रखने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से रहन/बेचान/किराये इत्यादि के लिये हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा। संस्था के अवसान में चले जाने अथवा जिस उद्देश्य के लिए संस्था शुरू की गई थी उन उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात् संस्था के बन्द हो जाने की दशा में उक्त सम्पत्ति स्वत: ही जयपुर विकास प्राधिकरण/राज्य सरकार के स्वामित्व में मानी जावेगी तथा इसका कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
11. संस्था के बोर्ड/प्रबन्धकारिणी में एक सदस्य प्राधिकरण का तथा एक सदस्य राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का होगा। इस संबंध में संस्था यथोचित प्रावधानों का निर्माण करेगी एवं यथानुरूप उप नियम संस्वीकृत करा जविप्रा को उप नियमों की प्रति सहित 60 दिन की अवधि में सूचित करेगी। उपरोक्तानुसार कार्यवाही न करने को पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन मान तदनुरूप कार्यवाही की जायेगी। आवंटित भूमि पर भवन विकास एवं संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई भी निर्णय बोर्ड/प्रबंधकारिणी की बैठक में ही लिये जायेंगे एवं ऐसी बैठक में प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि को बुलाना अनिवार्य होगा।
12. संस्था को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना एवं कर इत्यादि का भुगतान करना होगा।
13. पट्टेदार/आवंटी द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त समस्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुये भवन यदि कोई हों, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।
14. यदि संस्था को आवंटित भूमि का कोई भाग बाद में किसी समय राज्य सरकार द्वारा या आवंटनकर्ता संस्था द्वारा किसी विकास कार्य हेतु आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार अथवा आवंटनकर्ता संस्था प्राधिकरण उस भू-भाग को आवंटन की दर पर वापिस ले सकने के लिये स्वतन्त्र होगा। यदि उक्त भूखण्ड पर कोई निर्माण कार्य या अन्य कोई विकास कार्य किया गया होगा तो उसके लिए मुआवजा अलग से देय होगा।

उपायुक्त एवं ... कृत अधिकारी
जोन - 3
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

(466)

15. शैक्षणिक संस्थाओं के प्रयोजन के लिए आवंटित भूखण्ड पर संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में राज्य सरकार द्वारा एतदर्थत समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार आरक्षण/भर्ती/फीस आदि का उक्त आवंटित संस्था को पालना करनी होगी।

16. राज्य हित व विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/जिला दण्डनायक उक्त आवंटित भूमि व उस पर निर्मित भवन को अस्थाई रूप से प्रयोग में ले सकेगा, जिसके लिये कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

नोट :— इस भूखण्ड की वार्षिक शहरी जमाबन्दी 1,02,363/— रूपये की पंजीकृत मूल्य राशि रूपये 42,94,247/- होती है। अतएव स्टाम्प स्टाम्प नं. 4649 संख्या 4+1+1 राशि 4,72,920+10/- रूपये बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।
492
493

स्थल मानचित्र अनुसार

| | | |
|---|---|---|
| कस्बे का नाम लालकोठी जयपुर विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल | पूर्व ……… पश्चिम ……… प्लाट की संख्या यदि कोई हो कार्यालय भवन सीमा<br>उत्तर ……… दक्षिण ……… योजना का नाम लालकोठी | पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण — स्थान मानचित्र संलग्न है। 1632-334 व.गा (1364-84 व.मी.) |

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये गये है।

*राजस्थान सरकार की ओर से—*

राजस्थान सरकार की ओर से
आज सन् 2004 जन. के 24 वें दिन ……… श्री पी.सी. मिश्रा
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन 3 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किये।

[हस्ताक्षर]
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

साक्षी:—

(1) नाम सुरेश चन्द शर्मा
पिता का नाम श्री हरदयाल शर्मा
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

[हस्ताक्षर]
साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम ………
पिता का नाम इन्द्र कुमार कचोलिया
S/O स्व. श्री पूनम चन्द कचोलिया
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

इन्द्र कुमार
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 24 जनवरी 2004 को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नगर विकास निगम, हुडको द्वारा क्षेत्रीय प्रमुख हुडको जयपुर खरीददार द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

[हस्ताक्षर]
बलदेव सिंह सौंई
खरीददार के हस्ताक्षर
क्षेत्रीय प्रमुख
हुडको, जयपुर

साक्षी:—

(1) नाम एस. के. सोलंकी
पिता का नाम श्री ओ. एम. सोलंकी
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान एस-12 प्रथम तल हडको फ्लेट्स ज्योति नगर जयपुर

[हस्ताक्षर]
एस. के. सोलंकी
साक्षी/वरिष्ठ विधि अधिकारी
हडको क्षेत्रीय कार्यालय
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर

(2) नाम सुनील गुप्ता
पिता का नाम श्री राधेश्याम गुप्ता
व्यवसाय सरकारी सेवा (नौकरी)
निवास स्थान G-90, मालवीया नगर, जयपुर

[हस्ताक्षर]
साक्षी के हस्ताक्षर
हडको निवास
आवास एवं नगर विकास निगम लि.
क्षेत्रीय कार्यालय—हडको भवन
ज्योति नगर, जयपुर-302 005

स्थल मानचित्र हुडको के लिए भूखण्ड
लाल कोठी योजना, जयपुर

पैमाना 1" = 48'    क्षेत्रफल = 1652.53 वर्गगज

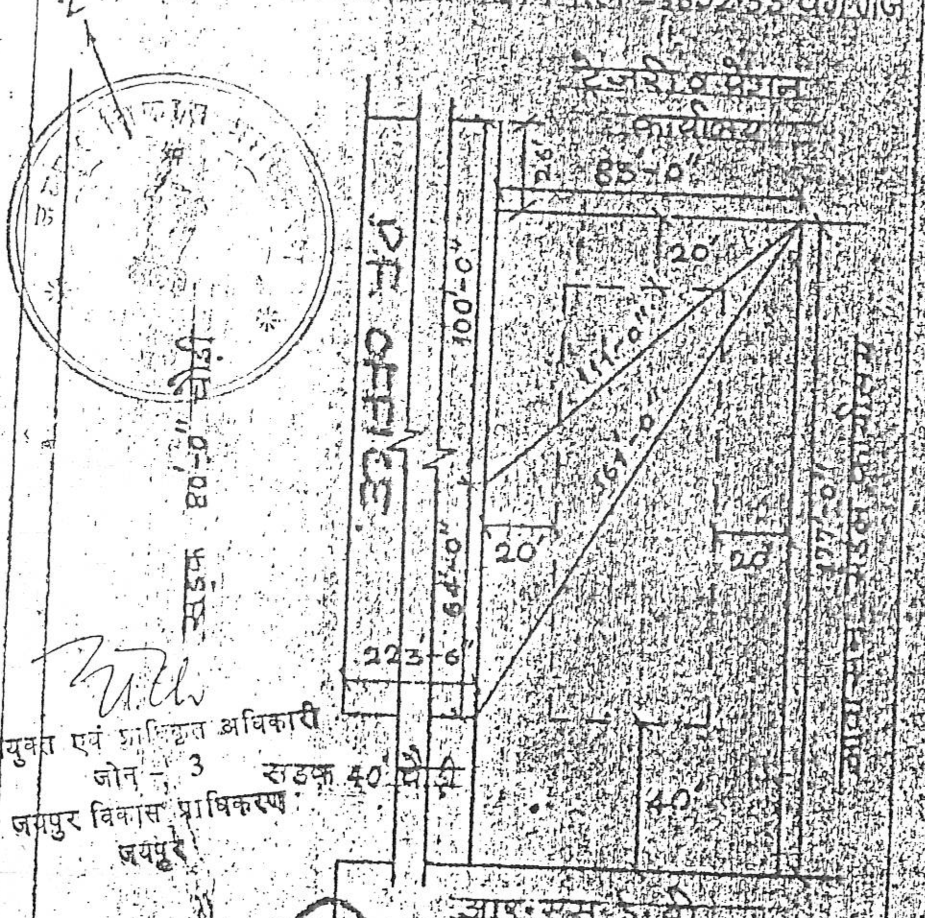


उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन - 3
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क. अभियन्ता    सहा. अभियन्ता

# जयपुर विकास प्राधिकरण
## जयपुर

Government of India
Central Public Works Department
Office of Executive Engineer, Jaipur -I,
Kendriya Sadan Block-A, Room No.110, Sector-10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur
Phone No. 0141-223576, Fax No. 0141-2231578
E-mail:eejcd1cpwd@rediffmail.com,ee-jcd1-cpwd-rj@nic.in

No. : 1(3)/JCD-I/2020/368 Dated : 03/02/2020

# RENT REASONABLENESS CERTIFICATE

Certified that reasonable rent of Premises with description as "2nd & 3rd floor of HUDCO Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur owned by Housing & Urban Development Corporation Ltd. (HUDCO) and already under tenancy of "O/o The Commissioner of Income Tax (Audit) Rajasthan, jaipur " has been assessed as per guidelines issued by Directorate General of Works, CPWD vide No.8/1/2002-W.II(DGW) Pt. Dated 24.5.2004 the rent as effective from **18/03/2019**,works out to **Rs 36.18 per sqft. (Rupees Thirty Six and paisa eighteen only) per sq.ft. per month of built up area the monthly rent will be Rs 1,51,726/- (Rupees One Lac Fifty One Thousand Seven Hundred Twenty Six only ) total built up area 389.60 Sqm (Built up area of 2nd floor 228.66 sqm and 3rd floor of 160.94 sqm)**

2. It shall be the responsibility of hiring department to see if the rent assessed as above is to restricted to any particular limit in view of the terms and conditions of the existing lease assessment or any other relevant instructions issued by the competent authority to this effect.

3) The rent as indicated above is inclusive of
   a) Appurtenant land in the campus. approx to be utilized exclusively by the Hiring Department for parking purposes etc.
   b) Regular repairs and maintenance of the premised;
   c) Municipal Tax (House/ Property Tax), but exclusive of Water & Electricity charges payable to body which shall be borne by the Hiring Department.
   d) GST shall be paid by Hiring Department.

4) The Municipal Tax component included in the rent as indicated above per month. It will be for the Hiring Department to settle the terms of payment of the rent to the owner with or without Municipal Tax by following any of the following alternatives:-
   a) Pay only net rent first and reimburse municipal tax to the owner separately on submission of proof of actual payment.
   b) Pay only net rent to the owner and pay municipal tax directly to the local body.
   c) Pay composite rent.

As municipal tax component of the rent has already been spelt out above, no request shall be entertained by Hiring Committee for re-assessment of rent on account of subsequent increase/ decrease in municipal tax, if any. It shall accordingly be for the hiring department to settle it in the beginning by a mutual agreement as to how such subsequent increase or decrease in municipal tax, if any shall be dealt with.

03 FEB 2020
3517

Executive Engineer
Jaipur -I,
CPWD, Jaipur

प्रतिलिपि :-

1. O/o The Commissioner of Income Tax (Audit) Rajasthan, Jaipur, 2nd floor, HUDCO Bhawan, Vidhyut Marg, Jyoti Nagar, Jaipur.
2. Assistant Engineer, Jaipur Central Sub Division-III, CPWD, Jaipur in the reference of their letter no. 146 dated 25.04.2019 and even no. 421 dated 12.12.2019

3/2/2020
Executive Engineer